स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट–169, दिनांक 06–06–2024

थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद में पंजीकृत मु0अ0स0 408/10 में वांछित रू0 50000/–का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी राज कुमार पाण्डेय गिरफ्तार।

दिनाकः 05–06–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0स0 408/10 धारा 411/414 भादवि एवं 41/102 सीआरपीसी के अभियोग में चौदह साल से फरार चल रहें वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को पटना बिहार से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– राजकुमार पाण्डेय पुत्र कमलदीप पाण्डेय, निवासी मजरिया, थाना छपरा, बिहार, हाल पता–100/1 मैन रोड बुद्वा कालोनी, थाना बुद्वा कालोनी, जनपद पटना बिहार ।

बरामदगी–

1– 01 अदद आधार कार्ड

2– 01 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समयः–

दिनांक 05–06–2024 समयः लगभग 18.40 बजे, बुद्वा कालोनी, थाना बुद्वा कालोनी, पटना बिहार ।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। । इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी एवं उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार, एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम दिनांक 05–06–2024 को उपरोक्त ईनामी अपराधी के सम्बन्ध में पतारसी सुरागरसी हेतु पटना बिहार में भ्रमणशील थी तो अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को ज्ञात हुआ कि थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद के मु0अ0सं0 408/10 धारा 411/414 भादवि एवं 41/102 सीआरपीसी के अभियोग में वांछित रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी राजकुमार पाण्डेय, पटना बिहार की बुद्वा कालोनी में मकान संख्या 100/1 में रहता है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा थाना बुद्वा कालोनी, जनपद पटना बिहार पुलिस को अवगत कराते हुए, साथ लेकर पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को उपरोक्त स्थल से समय करीब 18.40 बजे गिरफ्तार कर लिया गया । तदोपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा थाना बुद्वा कालोनी, पटना बिहार में विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ईनामी अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के उक्त अभियोग में दाखिल करने हेतु लाया गया। इसके पश्चात अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को दिनांक 06–06–2024 को समय 12.27 बजे थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के मु0अ0सं0 408/10 धारा 411/414 भादवि एवं 41/102 द0प्र0सं0 के अभियोग में दाखिल किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 52 साल है और उसने स्नातक की पढाई की है। बताया कि पढाई के उपरान्त उसने वर्ष 2001 से 2005 तक दवाईयों को बेचने का काम

किया था। इसके बाद उसने बिहार मेडिकल हॉल के नाम से दवाईयों की अपनी दुकान पटना में खोली थी परन्तु दुकान अच्छी नही चल रही थी। उसी दौरान अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय की मुलाकात नगद नारायण पुत्र राम सिंह निवासी, छपरा बिहार से हुई थी, जो उसका दूर का रिश्तेदार था, जिसके माध्यम से अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय की मुलाकात जनपद लखनऊ के रहने वाले कर्नल एम0पी0 सिंह से हुई थी, जो चोरी की गाडियों को खरीदने–बेचने का काम करता था। इसके बाद अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय ने नगद नारायण के साथ मिलकर चोरी की गाडियों को खरीदने एवं बेचने का काम करना शुरू कर दिया । वर्ष 2009 में थाना कालकाजी, दिल्ली पुलिस द्वारा अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को चोरी की गाडियों की खरीद–फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय के विरूद्व थाना कालकाजी दिल्ली पर मु0अ0स0 329/09 धारा 379/468/471/482 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ। इस अभियोग में जमानत पर छूटने के उपरान्त अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय ने नगद नारायण के साथ मिलकर जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में अपराधिक घटना करने लगा। वर्ष 2010 में नगद नारायण चोरी की गाडी के साथ पकडा गया था तथा अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय भाग गया था। तभी से अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के उक्त अभियोग में फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (अपराध/मुख्यालय) गाजियाबाद के स्तर से रूपया 50,000/ का पुरष्कार घोषित किया गया था ।

अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय उपरोक्त का ज्ञात अपराधिक इतिहास हैः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	329/09	379/468/471/482 भादवि	कालकाजी	दिल्ली
2	408/10	411/414 भादवि एवं 41/102 द0प्र0सं0	मुरादनगर	गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार पाण्डेय को थाना मुरादनगर जनपद के मु0अ0सं0 408/10 धारा 411/414 भादवि एवं 41/102 द0प्र0सं0 के अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––